# प्रेस नोट दि0-27.08.2025 जनपद प्रतापगढ़

**थाना- संग्रामगढ़, जनपद- प्रतापगढ़**

थाना संग्रामगढ़ पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित 50000/- रुपये का ईनामिया अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त घायल/गिरफ्तार-

थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत सांडा हर्षपुर नहर पटरी के पास थाना संग्रामगढ़ पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त के बायें पैर में गोली लगी।

घायल अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गोविन्द गौतम को ईलाज हेतु सीएचसी संग्रामगढ़ ले जाया गया है, जहां से डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रेफर किया गया है।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोटरसाइकिल व पीली धातु के आभूषण बरामद-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गोविन्द गौतम पर जनपद प्रतापगढ़, जनपद प्रयागराज व जनपद भदोही में लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट मारपीट जैसे संगीन अभियोग पंजीकृत है।

दिनांक 28.07.2025 को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत वादी अपनी ज्वैलरी की दुकान का सामान बैग में रखकर घर जा रहा था। रास्ते में दुकान और घर के बीच की गली में दो बाइकों पर सवार चार अज्ञात व्यक्तियों ने बैग छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर वादी को मारपीट कर चोटें पहुंचाई तथा बैग लूटकर भागने लगे व तमंचे से हवाई फायर करते हुए जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गये। जिसके संबंध में थाना संग्रामगढ़ में मु0अ0सं0 137/25 धारा 309(4), 311, 115(2), 351(3) बीएनएस बनाम 04 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 30.06.2025 को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत वादी अपनी दुकान बन्द कर स्कूटी से घर जा रहा था। तभी सफेद रंग की मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों ने पीछे से आकर चलते समय झपट्टा मारकर उसका बैग छीन लिया और भाग गये। जिसके संबंध में थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 135/25 धारा 309(4) बीएनएस बनाम 03 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा

घटना स्थल से साक्ष्य संकलन, तकनीकी जानकारी व सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्तों की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 27.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 सूबेदार राय, उ0नि0 विनय वर्मा, का0 धनन्जय श्रीवास्तव, का0 केवल साहू, का0 अजीत प्रताप सिंह थाना संग्रामगढ़ व थानाध्यक्ष महेशगंज उ0नि0 मुकेश कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 प्रभाशंकर सचान, उ0नि0 अखिलेश कुमार व *प्रभारी एसओजी उ0नि0 अमित चौरसिया मय हमराह, उ0नि0 दिनेश सिंह, हे0का0 महेंद्र प्रताप, हे0का0 धनंजय राय, हे0का0 मोहित राज यादव, का0 जागीर सिंह, का0 आशुतोष पांडे, का0 श्रीराम सिंह, का0 अरविंद दुबे, का0 राजेंद्र कुमार द्वारा थाना थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत सांडा हर्षपुर नहर पटरी के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित 50000/- रुपये का ईनामिया अन्तर्जनपदीय 01 शातिर अभियुक्त, 01.अभियुक्त गोविन्द गौतम पुत्र शिवचरण गौतम निवासी ग्राम फरीदपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज उम्र लगभग 28 वर्ष के बायें पैर में लगी गोली। घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु सीएचसी संग्रामगढ़ ले जाया गया है, जहां से डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रेफर किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोटरसाइकिल व पीली धातु के आभूषण बरामद किया गया। जिसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

50000/- रुपये का ईनामिया घायल/ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. घायल अभियुक्त गोविन्द गौतम पुत्र शिवचरण गौतम निवासी ग्राम फरीदपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज उम्र करीब 28 वर्ष।

50000/- रुपये का ईनामिया घायल/ गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
01- घायल गोविन्द गौतम पुत्र शिवचरण गौतम निवासी ग्राम फरीदपुर, थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज का अपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 135/25 धारा 309(4) BNS थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 161/25 धारा 109(1), 317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 137/25 धारा 309(4), 311, 351(3), 115(2), 317(2) BNS थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

04. मु0अ0सं0 140/25 धारा 109(1), 352, 351(3) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट  थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 430/20 धारा 323, 506 भादंवि  थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज।
06. मु0अ0सं0 176/25 धारा 115(2), 352, 351(3) BNS  थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज।
07. मु0अ0सं0 176/22 धारा 392, 411 भादंवि  थाना शिवकुटी, जनपद प्रयागराज।
08. मु0अ0सं0 161/24 धारा 109(1), 111, 310(2), 317(3) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट  थाना गोपीगंज, जनपद भदोही।
09. मु0अ0सं0 247/25 धारा 309(4), 317(2)  BNS  थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज।
10. मु0अ0सं0 288/25 धारा 309(4), 317(2)  BNS  थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येंद्र सिंह भदौरिया मय हमराह उ0नि0 सूबेदार राय, उ0नि0 विनय वर्मा, का0 धनन्जय श्रीवास्तव, का0 केवल साहू, का0 अजीत प्रताप सिंह थाना संग्रामगढ़ व थानाध्यक्ष महेशगंज उ0नि0 मुकेश कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 प्रभाशंकर सचान, उ0नि0 अखिलेश कुमार, थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

एसओजी टीमः-
प्रभारी एसओजी उ0नि0 अमित चौरसिया मय हमराह, उ0नि0 दिनेश सिंह, हे0का0 महेंद्र प्रताप, हे0का0 धनंजय राय, हे0का0 मोहित राज यादव, का0 जागीर सिंह, का0 आशुतोष पांडे, का0 श्रीराम सिंह, का0 अरविंद दुबे, का0 राजेंद्र कुमार, ।

सर्विलांस सेलः-
हे0का0 पंकज दुबे, का0 प्रवीण कुमार, का0 सनोज, का0 अनुपम, का0 संजय, हे0 का0 राजेंद्र प्रसाद सिंह ।

**थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।**

प्रतापगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन : संगठित गिरोह के 04 सक्रिय सदस्य गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध
हत्या जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त कुख्यात गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही
गैंगलीडर रणजीत सिंह उर्फ मेजर व उसके 03 सक्रिय सहयोगी अभियुक्त जेल में बंद
गिरोह द्वारा दिनदहाड़े हत्या सहित कई संगीन अपराधों का किया गया था कारनामा
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपराधियों पर लगातार कड़ा शिकंजा
थाना रानीगंज पुलिस की बड़ी सफलता—गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हुआ मुकदमा

प्रतापगढ़ ।
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है ।

थाना रानीगंज -
अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल निर्देशन में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभात कुमार के नेतृत्व में दिनांक 26.08.2025 को सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर रणजीत सिंह उर्फ मेजर पुत्र स्व० रामबहादुर सिंह निवासी ग्राम रतनमई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अपने सहअभियुक्त सदस्यों 1. मो0 शाहिद पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम हरिहर रामपुर (खूझी मझगवां) थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़, 2. अमरेश त्रिपाठी उर्फ टिंकू पुत्र सुरेश कुमार त्रिपाठी निवासी ग्राम परसुरामपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ व 3. उमेद पुत्र शौकत अली निवासी ग्राम वशीरपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ के विरूद्ध थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 291/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त रणजीत सिंह उर्फ मेजर अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर संगठित तरीके से हत्या जैसे अपराधों को कारित किया है।

गैंगलीडर रणजीत सिंह उर्फ मेजर पुत्र स्व० रामबहादुर सिंह निवासी ग्राम रतनमई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अपने सहअभियुक्त सदस्यों 1. मो0 शाहिद पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम हरिहर रामपुर (खूझी मझगवां) थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़, 2. अमरेश त्रिपाठी उर्फ टिंकू पुत्र सुरेश कुमार त्रिपाठी निवासी ग्राम परसुरामपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ व 3. उमेद पुत्र शौकत अली निवासी ग्राम वशीरपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम किया है जो जनपद स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह द्वारा दिनांक 31.12.2024 को शिवम सरोज पुत्र अशोक कुमार सरोज को सुनियोजित षड्यन्त्र के तहत ग्राम सराय भरत राय स्थित आंवले के बाग में बुलाकर अवैध शस्त्र विक्रय में हुए विवाद में गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी। जिसके संबंध में थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 01/25 धारा 103(1), 61 (2) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में पंजीकृत किया गया है।

इस गिरोह के गैगलीडर रणजीत सिंह उर्फ मेजर पुत्र स्व० रामबहादुर सिंह व सदस्यों के विरुद्ध थाना रानीगंज में हत्या जैसे मुकदमें पंजीकृत हैं।

1- गैंग लीडर रणजीत सिंह उर्फ मेजर पुत्र स्व० रामबहादुर सिंह निवासी ग्राम रतनमई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0–220/2015 धारा – 323/504/506 भादवि व 3(1)(10) SC/ST ACT थाना – कन्धई जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0–555/2019 धारा – 120बी/302/394 भादवि थाना – कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

3. मु0अ0सं0–591/2019 धारा – 307 भादवि थाना – कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0–985/2019 धारा – 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना – कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
5. मु0अ0सं0–303/2020 धारा – 395 भादवि थाना – कन्धई जनपद प्रतापगढ़
6. मु0अ0सं0–319/2020 धारा – 394 भादवि थाना – कन्धई जनपद प्रतापगढ़
7. मु0अ0सं0–320/2020 धारा – 307 भादवि थाना – कन्धई जनपद प्रतापगढ़
8. मु0अ0सं0–386/2020 धारा – 411/420/467/468/471 भादवि थाना – कन्धई जनपद प्रतापगढ़
9. मु0अ0सं0–388/2020 धारा – 411/420/467/468/471 भादवि थाना – कन्धई जनपद प्रतापगढ़
10. मु0अ0सं0–109/2021 धारा – 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना – कन्धई जनपद प्रतापगढ़
11. मु0अ0सं0–01/2025 धारा – 103(1)/61(2)(a) BNS व 3(2)V SC/ST ACT थाना – रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

2- मो0 शाहिद पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम हरिहर रामपुर (खूझी मझगवां) थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0–01/2025 धारा – 103(1)/61(2)(a) BNS व 3(2)V SC/ST ACT थाना – रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

3- अमरेश त्रिपाठी उर्फ टिंकू पुत्र सुरेश कुमार त्रिपाठी निवासी ग्राम परसुरामपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 555/2019 धारा 120बी/302/394 भादवि थानाकोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 591/2019 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 592/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 985/2019 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगरजनपद प्रतापगढ़
5. मु0अ0सं0 01/2025 धारा 103(1)/61(2)(a) BNS व 3(2)V SC/ST ACT थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

4- उमेद पुत्र शौकत अली निवासी ग्राम वशीरपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 109/2021 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 386/2020 धारा 411/420/467/468/471 भादवि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 388/2020 धारा 411/420/467/468/471 भादवि थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 107/22 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़
5. मु0अ0सं0 303/20 धारा 395 भादवि कंधई थाना जनपद प्रतापगढ़
6. मु0अ0सं0 321/20 धारा 2/27/3 आर्म्स एक्ट कंधई थाना जनपद प्रतापगढ़
7. मु0अ0सं0 320/20 धारा 307 भादवि कंधई थाना जनपद प्रतापगढ़
8. मु0अ0सं0 319/20 धारा 394 भादवि कंधई थाना जनपद प्रतापगढ़

9. मु0अ0सं0 01/2025 धारा 103(1)/61(2)(a) BNS व 3(2)V SC/ST ACT रानीगंज थाना जनपद प्रतापगढ़

**थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।**

14 साल बाद मिली बड़ी सफलता – दुष्कर्म मामले का फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार
प्रतापगढ़ पुलिस का कमाल – राजस्थान से दबोचा गया 25 हजार का इनामिया
सर्विलांस सेल और थाना पट्टी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 25 हजार का इनामी पकड़ा गया
पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में फरार शातिर अपराधी पर शिकंजा
2011 से फरार चल रहे दुष्कर्म आरोपी को प्रतापगढ़ पुलिस ने राजस्थान से धर दबोचा
थाना पट्टी पुलिस की बड़ी कामयाबी – 25 हजार इनामिया गिरफ्तार
14 वर्षों से पुलिस को चकमा दे रहा था आरोपी, राजस्थान से किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़ ।
थाना पट्टी क्षेत्रातंर्गत निवासी वादी के तहरीर के आधार पर थाना पट्टी में मु0अ0सं0 157/2011 धारा 376, 506 भादवि का मुकदमा लिखा गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, प्रतापगढ़ श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना पट्टी प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक सिंह सिरोही के नेतृत्व में दिनांक 27.08.2025 को उ0नि0 लक्ष्मीकान्त सिंह सेंगर पुलिस लाइन प्रतापगढ मय हमराह का0 सत्यम शर्मा थाना पट्टी प्रतापगढ, का० अनुपम सर्विलांस सेल द्वारा मु0अ0सं0 157/2011 धारा 376, 506 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में वाँछित 25 हजार रूपये का इनामियां सुनील कुमार रजक पुत्र राममूर्ति रजक निवासी ग्राम समोगरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 44 वर्ष को थाना सागवाड जनपद डूंगरपुर राज्य राजस्थान पुलिस के सहयोग से ए ब्लाक, पुनर्वास कालोनी, सागवाडा थाना सागवाडा से गिरफ्तार किया गया।

-प्रतापगढ़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24.08.2025 को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं अन्य सूचना के क्रम में ए ब्लाक, पुनर्वास कालोनी, सागवाडा थाना सागवाडा जनपद डूंगरपुर से गिरफ्तार किया गया।

-पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा शातिर अभियुक्त सुनील कुमार रजक पुत्र राममूर्ति रजक निवासी ग्राम समोगरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 44 वर्ष की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:-

सुनील कुमार रजक पुत्र राममूर्ति रजक निवासी ग्राम समोगरा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 44 वर्ष

गिरफ्तारी पुलिस टीम-
उ0नि0 लक्ष्मीकान्त सिंह सेंगर पुलिस लाइन प्रतापगढ मय हमराह का0 सत्यम शर्मा थाना पट्टी प्रतापगढ, का० अनुपम सर्विलांस सेल।

**थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़**

प्रतापगढ़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही – हत्या का प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
थाना मानिकपुर पुलिस की बड़ी सफलता – 01 वांछित अपराधी दबोचा गया
बाजार में सूप बेचने के विवाद से जुड़ी मारपीट/हमले की घटना का आरोपी गिरफ्तार
आरोपी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज, आपराधिक इतिहास का खुलासा
पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी
मानिकपुर पुलिस टीम ने रहमत अली तिराहे से दबोचा शातिर अपराधी

प्रतापगढ़।
दि०- 13.06.2025 समय करीब 8 बजे रात्रि बाजार में सूप बेंचने के विवाद को लेकर आरोपीगणों द्वारा वादिनी मुकदमा व उसके परिजनो को मारपीट कर घायल कर दिया गया था। थाना माकनपुर में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 111/25 धारा 191 (2), 191 (3), 190, 115 (2), 352, 351(3), 324(4) 109 बी.एन.एस का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर प्रभारी निरीक्षक श्री दीप नारायण के नेतृत्व में उ0नि0 संतोष यादव मय हमराह का0 भीमराव व का0 मनोज यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित 01 अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र गया प्रसाद उम्र करीब 27 वर्ष नि0 खानकाह थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र मानिकपुर के रहमत अली तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मनीष कुमार पुत्र गया प्रसाद उम्र करीब 27 वर्ष नि0 खानकाह थाना मानिकपुर प्रतापगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र गया प्रसाद उम्र करीब 27 वर्ष नि0 खानकाह थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0. 44/23 धारा 304/323/504/506 भादवि0 थाना कुण्डा, प्रता0

2. मु0अ0सं0. 115/24 धारा 323/506 भादवि0 थाना मानिकपुर, प्रता0

3. मु0अ0सं0. 17/23 धारा 420 भादवि0 थाना नवाबगंज, प्रता0

4. मु0अ0सं0. 111/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/324(4)/109 बीएनएस0 थाना मानिकपुर, प्रता0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 संतोष यादव मय हमराह का0 भीमराव व का0 मनोज यादव थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

**थाना–कुण्डा, जनपद–प्रतापगढ़**

प्रतापगढ़ पुलिस की प्रभावी कार्यवाही : चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

कुण्डा पुलिस की बड़ी सफलता – चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
चोरी का सामान बरामद, अपराधियों पर पुलिस की सख्त कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी
शातिर चोर का आपराधिक इतिहास उजागर

घटना का संक्षिप्त विवरण
वादिनी की दुकान से सामान तथा शैलेन्द्र पाण्डेय की किलोस्कर पानी की मोटर चोरी किए जाने के संबंध में थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0–230/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम अतीस शर्मा उर्फ दरोगा पुत्र जवाहर शर्मा नि0 मीरपुर बनोही, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ अमित कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 कृष्णा प्रसाद नि0 मीरपुर बनोही, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में तथा निरीक्षक कुण्डा श्री संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.08.2025 को चोरी के सामान सहित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण
अमित कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 कृष्णा प्रसाद, उम्र करीब 32 वर्ष नि0 गणेश दूबे का पुरवा, मीरपुर बनोही, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0–333/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना बाघराय
मु0अ0सं0–230/2025 धारा 305/317(2) बीएनएस, थाना कुण्डा

गिरफ्तारी का स्थान-
दिनांक – 27.08.2025, गणेश दूबे का पुरवा, मीरपुर बनोही, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी

✔ दुकान से चोरी हुआ सामान

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 गोविन्द सिंह
का0 हर्षवर्धन
का0 रामप्रताप सिंह
का0 विशाल मौर्या
थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

**थाना- अंतू, जनपद- प्रतापगढ़**

थाना अंतू पुलिस की बड़ी सफलता : चोरी की घटना में वांछित अभियुक्त देशी बम व चोरी का सामान सहित गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना अंतू पुलिस की बड़ी कामयाबी : चोरी की घटना में चोरी के समान एवं 05 अदद देशी बम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

अभियुक्त को अंतू क्षेत्रान्तर्गत चंद्रिकन रोड से अर्जुनपुर की ओर सड़क किनारे झाड़ियों के पास से गिरफ्तार किया गया है-

अभियुक्त पर थाना अंतू पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के संगीन अपराध पंजीकृत है-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादिनी ग्राम अदमापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ का एक मकान नया तेलियरगंज सण्डवा चन्दिका थाना अन्तू प्रतापगढ़ में स्थित है। उस मकान में ताला बन्द रहता है वादिनी के परिजन लोग पुराने मकान अदमापुर में रहते है। दिनांक 24.8.2025 की रात्रि को वादिनी के घर में घुसकर कमरे वा बड़े वक्से का ताला तोडकर उसमें रखे वर्तन को गांव के ही सिर्धाथ गुप्ता उर्फ संदीप गुप्ता पुत्र हरिश चन्द निवासी तेलियरगंज थाना अन्तू

प्रतापगढ के द्वारा चोरी किया गया। जिसके संबंध में थाना अंतू में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 284/25 धारा 305, 331 (4) बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अ पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय हमराह का0 बौद्ध प्रकाश, का0 अनिल यादव, का0 संजय कुमार सिंह देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्ति, वाहन की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना अंतू पर पंजीकृत मु0अ0सं0 284/2025 धारा 305,331(4), बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त सिद्धार्थ गुप्ता उर्फ संदीप गुप्ता पुत्र स्वर्गीय हरिश्चंद्र गुप्ता निवासी तेलियरगंज संडवा चंडिका थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 28 वर्ष को 5 अदद जिंदा देशी बम व चोरी का 01 अदद अल्युमिनियम का बड़ा भगोना मय ढक्कन व 01 अदद परात पीतल के साथ थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत चंद्रिकन रोड से अर्जुनपुर की ओर सड़क किनारे झाड़ियों के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त सिद्धार्थ गुप्ता उर्फ संदीप गुप्ता उपरोक्त के कब्जे से 5 अदद जिंदा देशी बम बरामदगी के संबंध में मु0अ0सं0 285/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं चोरी का 01 अदद अल्युमिनियम का बड़ा भगोना मय ढक्कन व 01 अदद परात पीतल की बरामदगी के संबंध मु0अ0सं0 284/2025 धारा 305,331(4), बीएनएस में धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि जो बम बरामद हुए है उनके द्वारा मै लोगों को डरा धमका कर घटना करके भाग जाता था। मैने एक चोरी की घटना दिनांक 26/8/2025 को ग्राम अदमापुर मे वादिनी के घर में बाउंड्री वॉल तोड़कर कूद कर घर में घुसकर घर में रखें बड़े बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखा एक अल्युमिनियम का भगोना एक परात पीतल का व एक ढक्कन व छोटे-छोटे बर्तन चम्मच थाली लोटा इत्यादि चोरी कर लिया था। जिसको मैंने इसी जंगल में छुपा कर रखा है। अभियुक्त की निशानदेही से मौके से आगे-आगे चलकर रोड के किनारे जंगल में झाड़ियो के बीच छुपा कर रखा हुआ एक अदद अल्युमिनियम का बड़ा भगोना मय ढक्कन व एक अदद परात पीतल का अपने हाथ से उठाकर बरामद कराया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सिद्धार्थ गुप्ता उर्फ संदीप गुप्ता पुत्र स्वर्गीय हरिश्चंद्र गुप्ता निवासी तेलियरगंज संडवा चंडिका थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 28 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 141/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 284/25 धारा 305, 331 (4) बीएनएस थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 285/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
5 अदद जिंदा देशी बम व चोरी का 01 अदद अल्युमिनियम का बड़ा भगोना मय ढक्कन व 01 अदद परात पीतल बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय हमराह का0 बौद्ध प्रकाश, का0 अनिल यादव, का0 संजय कुमार सिंह थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

**थाना- लीलापुर, जनपद- प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज, फर्जी प्रमाणपत्र से संबंधित वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्तों को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गतग्राम बोझवा बाग के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिन पर थाना लीलापुर में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज, फर्जी प्रमाणपत्र जैस संगीन अभियोग पंजीकृत है-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
प्रथम प्रकरण-
वादी ने 14-8-2020 को प्रेमा देवी इंस्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल साइंस साहबगंज लीलापुर प्रतापगढ़ में डी-फार्मा में प्रवेश लिया। प्रबंधक शैलेश मिश्रा और प्राचार्य बृजेंद्र कुमार मिश्रा ने फर्जी विश्वविद्यालय एवं प्रमाण पत्र देकर दो लाख बीस हजार रुपए लिए। वादिनी को बाद में पता चला कि अंक पत्र, प्रवेश पत्र व प्रमाण पत्र कूट रचित हैं। आरोप है कि उक्त व्यक्ति और उनके साथी फर्जी स्कूल व अस्पताल चलाकर विद्यार्थियों को ठगते हैं, धमकाते हैं और अरबों की संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। जिसके संबंध में थाना लीलापुर में मु0अ0स0 153/25 धारा 147/419/420/467/468/471/406/506/120बी भादवि बनाम 05 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

दित्तीय प्रकरण-
वादी ने वर्ष 2022 मेंप्रेमा देवी इंस्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल साइंस साहबगंज लीलापुर प्रतापगढ में डी-फार्मा में प्रवेश लिया और कुल 1,44,000/- रूपये विभिन्न शुल्क के रूप में जमा किए। वादी को कॉलेज द्वारा अंकपत्र और डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिए गए, जो बाद में फर्जी और कूट रचित पाए गए। निदेशक शैलेश मिश्रा और प्राचार्य बृजेंद्र कुमार मिश्रा ने प्रार्थी को गुमराह कर पंजीयन के नाम पर अतिरिक्त 30,000/- रूपये लिए। आरोप है कि कॉलेज द्वारा छात्रों को धोखाधड़ी और जालसाजी करके वित्तीय और शैक्षणिक नुकसान पहुंचाया

गया। जिसके संबंध में थाना लीलापुर में मु0अ0स0 146/25 धारा 419/420/467/468/471/406/120बी भादवि बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में व030नि0 एहसानुलहक खान मय हमराह उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह हे का० अजय प्रजापति व का अजय यादव,का0 कुन्दन शर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र भ्रमण, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबि की सूचना पर थाना लीलापुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 146/25 धारा 419/420/467/468/471/406/120बी भादवि व मु0अ0स0 153/25 धारा 147/419/420/467/468/471/406/506/120बी भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों,1. शैलेश कुमार मिश्रा पुत्र रामसमुझ मिश्र निवासी ग्राम बिसई त्रिलोकपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ उम्र 32 वर्ष, 2. सत्यजीत सिंह उर्फ सनी पुत्र दयाशंकर सिंह निवासी मडवा नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बस्ती हाल पता जानकीपुर विस्तार थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गतग्राम बोझवा बाग के साथ गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. शैलेश कुमार मिश्रा पुत्र रामसमुझ मिश्र निवासी ग्राम बिसई त्रिलोकपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ उम्र 32 वर्ष।
2. सत्यजीत सिंह उर्फ सनी पुत्र दयाशंकर सिंह निवासी मडवा नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बस्ती हाल पता जानकीपुर विस्तार थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
व030नि0 एहसानुलहक खान मय हमराह उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह हे का० अजय प्रजापति व का अजय यादव,का0 कुन्दन शर्मा थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

**<u>थाना- लीलापुर, जनपद- प्रतापगढ़</u>**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 05 जिन्दा देशी बम बरामद

अभियुक्त मो0 सैयाद उर्फ टिन्टू उपरोक्त को थाना क्षेत्र लीलापुर के गहरी मोड़ से आगे बनारस-रायबरेली हाइवे ग्राम-हण्डौर के पास से गिरफ्तार किया गया है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी लीलापुर मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 हरेन्द्र सिंह मय हमराह उ0नि0 गिरीशधर दुबे, का0 कुन्दन शर्मा, का0 महेश यादव, का0 सुनील यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र भ्रमण, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, 01 अभियुक्त मो0 सैयाद उर्फ टिन्टू पुत्र मो0 अब्बास अली निवासी ग्राम नाहर का पुरवा हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को थाना क्षेत्र लीलापुर के गहरी मोड़ से आगे बनारस-रायबरेली हाइवे ग्राम-हण्डौर के पास से 05 अदद जिन्दा देशी बम के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के पास से 05 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 212/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
मो0 सैयाद उर्फ टिन्टू पुत्र मो0 अब्बास अली निवासी ग्राम नाहर का पुरवा हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी-
04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज।

आपराधिक इतिहास
अभियुक्त मो0 सैयाद उर्फ टिन्टू पुत्र मो0 अब्बास अली निवासी ग्राम नाहर का पुरवा हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 262/24 धारा 115(2)/191(1)/324(2)/333/351(2)/352 बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 271/24 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
मु0अ0सं0 304/24 धारा 110/115(2)/391(2)/288/352 बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
1. उ0नि0 हरेन्द्र सिंह मय हस्बुल तलब हमराह उ0नि0 गिरीशधर दुबे,का० कुन्दन शर्मा, का0 महेश यादव, का० सुनील यादव थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।